



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1767/सत्रह-वि-1-1 (क)30-2002

लखनऊ, 17 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 13 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कारागार अधिनियम, 1894 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या
9 सन् 1894 में
नयी धारा 36-क
का बढ़ाया जाना

2-कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“36-क (1) प्रत्येक ऐसा सिद्धदोष अपराधी बन्दी जो किसी कारागार में श्रम बन्दियों का करने के लिए नियोजित किया गया हो और सन्तोषजनक कार्य पारिश्रमिक कर रहा हो, ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी सिद्धदोष अपराधी बन्दी को देय धनराशि में से उसके 20 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की कटौती की जायेगी और उसका भुगतान उस बन्दी द्वारा कारित अपराध के पात्र पीड़ितों को प्रतिकर के रूप में किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में की गयी सभी कटौतियों को इस प्रयोजन के लिए सृजित सामान्य निधि में जमा किया जायेगा।

(3) निधि का सृजन, उसमें धनराशि के जमा करने और उसके संचालन को ऐसी रीति से विनियमित किया जायेगा, जैसी विहित की जाय।”

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
सचिव।

उद्देश्य एवं कारण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दण्डिक अपील संख्या 308 सन् 1986 गुजरात सरकार और अन्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 24 सितम्बर, 1998 में यह निर्देश दिया है कि ऐसे बन्दियों को, जिन्हें श्रम के लिये नियोजित किया गया हो, ऐसे श्रम के लिये पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा और ऐसे पारिश्रमिक के एक भाग का भुगतान ऐसे बन्दियों द्वारा कारित अपराध के पात्र पीड़ितों को प्रतिकर के रूप में किया जायेगा और यह संस्तुति की कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विधि बना सकती है। तदनुसार यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिये कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय :-

(क) समस्त ऐसे सिद्धदोष अपराधी बन्दियों को, जिन्हें कारागार में श्रम के लिये नियोजित किया गया हो, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना।

(ख) पारिश्रमिक के एक भाग की, जो 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कटौती किया जाना और उसका भुगतान पात्र पीड़ितों को प्रतिकर के रूप में किया जाना।

(ग) इस प्रकार की गयी कटौती की धनराशि को जमा करने के लिये सामान्य निधि का सृजन और उसका संचालन।

तदनुसार कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पुरस्थापित किया जाता है।

No. 1767(2)/XVII-V-1-1(KA)30-2002

Dated Lucknow, September 17, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karagar (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhnyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhnyam Sankhya 16 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 2002:-

THE PRISONS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2002

(U. P. ACT NO. 16 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Prisons Act, 1894 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2002.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 36-A in Act no. IX of 1894

2. *After section 36 of the Prisons Act, 1894, the following section shall be inserted, namely:-*

“36-A(1) Every convicted criminal prisoner employed for labour in a prison and working satisfactorily shall be entitled to get such remuneration as may be prescribed by the State Government:

Provided that out of the amount payable to a convicted criminal prisoner under this sub-section, an amount not exceeding 20 per cent thereof shall be deducted and be paid as compensation to the deserving victims of the offence committed by that prisoner.

(2) All deductions made under sub-section (1) shall be credited to a common fund to be created for the purpose.

(3) The creation of the fund, credit of amount therein and the operation thereof shall be regulated in such manner as may be prescribed.”

By order,
R. B. RAO,
Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Supreme Court has in its decision dated 24.09.98 in Criminal Appeal No. 308 of 1986 State of Gujrat & Others Vs Gujrat High Court directed that the prisoners who are employed for labour shall be paid remuneration therefor and a portion of such remuneration be paid to the deserving victims of the offence committed by such prisoners and recommended that the State Government may make law in this regard. Accordingly it has been decided to amend the Prisons Act, 1894 (Act no. IX of 1894) in its application to Uttar Pradesh to provide for,-

(a) payment of remuneration to all convicted criminal prisoners employed for labour in a prison ;

(b) deduction of a portion of remuneration not exceeding twenty per cent and its payment to the deserving victims as compensation ;

(c) creation of a common fund for credit of amount be deducted and its operation.

The Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2002 is introduced accordingly.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 597 राजपत्र (हि०)-2002-(1370)-597-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 169 सा० विधायी-2002-(1371)-850-(कम्प्यूटर/आफसेट)।